न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभासिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 91/2023

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. स्व0 मंछाराम उर्फ मंसाराम पुत्र फुसाराम के का0मु0:– 1. गोपाराम पुत्र 2. ओमराम पुत्र 3. मनोहरलाल पुत्र 4. केलीदेवी पत्नी 5. परमेश्वरी पुत्री स्व0 मंछाराम 2. मानाराम पुत्र फुसाराम 3. हेमाराम पुत्र फुसाराम 4. साजनराम पुत्र फुसाराम 5. नोजी पत्नी मानाराम 6. कमला पत्नी हेमाराम 7. सुगनी पत्नी हरिंगाराम 8. भाणी पत्नी साजनराम सभी जातियान–विश्नोई निवासी–फूलण, तहसील समदडी जिला बालोतरा।		1. डूंगरसिंह 2. भीखसिंह 3. जब्बरसिंह 4. आदुसिंह 5. चतरसिंह पुत्रान– श्री मोडसिंह जातियान पुरोहित निवासी–सिणेर, तहसील सिवाना, बालोतरा 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, समदडी जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जो उपखंड अधिकारी, सिवाना के द्वारा प्रकरण संख्या 81/2018 अनवान राज0 सरकार बनाम डूंगरसिंह वगैराह में दिनांक 26.08.2019 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सुखदेव पटेल, अधिवक्ता, रेस्पो संख्या संख्या 1 ता 5 की ओर से।
3. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28 मई, 2025

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 तहसीलदार, समदडी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के समक्ष एक

संभागीय आयुक्त

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम फूलण के खाता संख्या 98 ख0सं0 236/164, व 331/164 कुल रकबा 63.00 बीघा किस्म रेतली राजस्व रेकर्ड में दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शा लट्ठा में ख0सं0 164/6, 164/7, 164/22, 164/5 दर्ज होने के कारण राजस्व रिकार्ड एवं लट्ठा नक्शा में एकरूपता नहीं है। अतः ख0सं0 164/6, 164/7, 164/22, 164/5 के स्थान पर ख0सं0 236/164, व 331/164 लट्ठा नक्शा में दर्ज करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जो तामील होकर प्राप्त हुए परन्तु विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से पेश प्रार्थनापत्र अनुसार नक्शा लट्ठा में दर्ज ख0सं0 164/6,164/7,164/22,164/5 को विलोपित करते हुए राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अंकित ख0सं0 236/164, व 331/164 लट्ठा नक्शा में दर्ज किये जाने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.8.2019 को पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.12.2019 को पेश की है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई दिनांक 20.12.2019 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र बाबत अपील पेश करने की अनुमति के सम्बन्ध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि राजस्व नक्शे में पहले से तरमीमशुदा है तथा उसी अनुसार अपीलान्ट का मौके पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार संस्थित किये बिना ही उनकी खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में राजस्व नक्शे के इन्द्राजों को बदलने का आदेश दे दिया। ऐसे में वह अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। साथ ही धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2019 के अनुसार यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य एक अन्य प्रकरण अधीनस्थ न्यायालयमें लम्बित है, जिसमें वर्तमान रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 2.12.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें उक्त मुकदमा संख्या 81/2019 सरकार बनाम डूंगरसिंह में पारित निर्णय का हवाला दिया गया, तब अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रथम बार हुई, तब अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 4.12.2019 को प्राप्त करते हुए यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा

संभागीय आयुक्त जोधपुर

रही है। अतः अपील पेश करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र तथा उक्त मियाद प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2019 को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया गया। अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में तथ्यों के आधार पर अपील पेश करने की अनुमति एवं धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने की अनुमति देते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। ख0सं0 164/6,164/7,164/22,164/5 ग्राम फूलण में स्थित है जिसके अपीलार्थीगण खातेदार है। उपरोक्त खसरों को जमाबन्दी में पेन्सिल से नवीन खसरों से दर्शाया है जिसके अनुसार नवीन ख0सं0 326/164, 324/164, 327/164 से स्थापित किया गया है। साबिका ख0सं0 164/6, 164/7, 164/22 व 164/5 राजस्व नक्शे में पहले से तरमीमशुदा है एवं अपीलान्टगण का मौके पर कब्जा है। उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई नोटिस दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है क्योंकि राजस्व नक्शे में कोई त्रुटि नहीं हुई है न ही धारा 131 की आड़ में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकर्ड को अपवित्र किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश की आड़ में भूमि के खातेदारी अधिकार ही बदल दिये गये है, अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व रेकर्ड के इन्द्राजों में समरूपता लाने सम्बन्धी राज्य सरकार के परिपत्र के विपरित जाकर इन्द्राजों में परिवर्तन किया है एवं पक्षकारान को अनावश्यक मुकदमेंबाजी में धकेला है। तहसीलदार को इस मामले में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था। अपीलार्थीगण जो विवादग्रस्त भूमि के खातेदार है, उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना रेकर्ड देखे ही आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.8.2019 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 सं0 1 ता 5 के विद्वान अधिवक्ता एवं रेस्पो0 सं0 6 की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि तहसीलदार, समदडी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.8.2019 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फूलण के खाता संख्या 98 ख.सं. 236/164, व 331/164 कुल रकबा 63.00 बीघा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन नक्शा लट्ठा में वह ख.सं. 164/6, 164/7, 164/22, 164/5 दर्ज होने के कारण राजस्व रिकार्ड एवं लट्ठा नक्शा में एकरूपता नहीं है। अतः ख0सं0 164/6, 164/7, 164/22, 164/5 के स्थान पर ख0सं0 236/164, व 331/164 लट्ठा नक्शा में दर्ज करने का आदेश दिया जावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विप्रार्थीगण(वर्तमान रेस्पो0 सं. 1 ता 5) को नोटिस जारी किये जाकर तलब किया गया परन्तु विप्रार्थीगण के नोटिस तामील हो जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार, समदडी की ओर से पेश प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए नक्शा लट्ठा में दर्ज ख0सं0 164/6,164/7,164/22,164/5 को विलोपित करते हुए राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अंकित ख0सं0 236/164, व 331/164 को लट्ठा नक्शा में दर्ज किये जाने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.8.2019 को पारित किया गया है जो विधि के अनुकूल होने से यथावत रखा जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शा लट्ठा में एकरूपता रखने की दृष्टि से तहसीलदार समदडी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को न्याय हित में स्वीकार किया गया है, जिससे किसी पक्षकार के कोई हित प्रभावित नहीं हुए है और न ही मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन किया गया है। केवल खसरा नम्बर की दुरूस्ती हेतु प्रार्थना की गई थी। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.8.2019 को पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है जो यथावत रखे जाने योग्य है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अपीलाधीन आदेश से प्रभावित व व्यथित पक्षकार होने का कथन किया है जबकि उक्त अपीलाधीन आदेश से उपरोक्त वर्णित खसरा की मौके की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मात्र खसरा नम्बर की दुरूस्ती ही की गई है। इस

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकार अपीलान्ट की ओर से पेश अपील आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 26.8.2019 इत्यादि का अवलोकन किया जिससें यह पाया गया है कि अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह आपत्ति उठाई है कि वे वादग्रस्त भूमि जो ख0सं0 164/6, 164/7, 164/22, 164/5 ग्राम फूलण में स्थित है, के अपीलार्थीगण खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये आवेदन में अपीलान्ट्स को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हे अपना पक्ष रखे जाने का अवसर प्रदान किया गया है, मात्र रेस्पोडेन्ट को पक्षकार संस्थित किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही निष्पादित की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, समदडी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये खसरा भूमि के सम्बन्ध में अपने स्तर पर कोई जॉच नहीं करवाई जाना पाया गया है। तहसीलदार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को आदेश का आधार मानते हुए उल्लेखित राजस्व नक्शा लट्ठा में संशोधन करने का आदेश पारित कर दिया है और पूर्व में अंकित खसरा संख्या 164/6, 164/7, 164/22, 164/5 के स्थान पर रेस्पोडेन्टस के ख0सं0 236/164, व 331/164 नक्शा लट्ठा में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व नक्शा लट्ठा में पूर्व समय में हुई लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त किया जा सकता है न कि अंकित खसरा संख्या की भूमि को विलोपित कर नये खसरा संख्या अंकित किये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में पूर्व में अंकित खसरा संख्या को विलोपित करने के पश्चात क्या स्थिति बनेगी तथा उनका अस्तित्व क्या रहेगा, यह भी खुलासा नहीं किया गया है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने एवं विधि के अनुरूप पारित नहीं किया है जिसे यथावत रखा जाना उचित नहीं होता है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.8.2019 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के द्वारा

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने तथा धारा 131, 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण का विधि के अनुरूप निस्तारण करें। निर्णय आज दिनांक 28 मई, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त
जोधपुर